2

टी०ए० मिस केस सं० 271/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
18.06.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका दानकर्ता **बामुनी सामड़**, पति– **स्व0 मानकीराम सोय**, ग्राम– **मतकमहातु**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– मतकमहातु, थाना नं०– 642 ,खाता नं०– 379, प्लॉट नं०– 855 एवं 856, रकवा क्रमशः 0.12 एंव 0.03 कुल रकवा–0.15 एकड़ भूमि को ग्रहिता (1) **मामता मुण्डारी**, पति– **सचिन मुण्डारी**, (2) **बिमला बानरा**, पति– **शिव शंकर बानरा**, ग्राम– **तमाडबॉंध**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में दान द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ग) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की दान हेतु आम सूचना निर्गत किया गया । अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। दानकर्ता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदिका के नाम पर नामान्तरण मुकदमा सं0 27(m)/2016–17 द्वारा नामांतरित होकर पंजी II में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **272**, दिनांक– **6.4.2019** एवं दानकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात भू–खण्ड को ग्रहिता (1) **मामता मुण्डारी**, पति– **सचिन मुण्डारी**, (2) **बिमला बानरा**, पति– **शिव शंकर बानरा**, ग्राम– **तमाडबॉंध**, **चाईबासा** के पास दान करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि दानकर्ता एवं ग्रहिता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्ये हैं। ग्रामीण मुण्डा का दान करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की दान के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.50** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में दानकर्ता आवेदिका **बामुनी सामड़**, पति– स्व0 मानकीराम सोय, ग्राम– **मतकमहातु**, थाना– **मुफ्फसिल** ग्रहिता (1) **मामता मुण्डारी**, पति– **सचिन मुण्डारी**, (2) **बिमला बानरा**, पति– **शिव शंकर बानरा**, ग्राम– **तमाडबॉंध**, **चाईबासा** के पास जमीन मौजा– **मतकमहातु**, थाना नं०– **642** ,खाता नं०– **379**, प्लॉट नं०– **855** एवं **856**, रकवा **क्रमशः** 0.12 एंव 0.03 कुल रकवा–0.15 एकड़ जमीन को दान करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत दान द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापिता (हस्ताक्षर) 18/6 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 18/6/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	